कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।

पत्रांक : 90/सा.नि.वि./2019–20 दिनांकः– 17-9-2019

अल्पकालीन ई–टेण्डर निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर मे पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत 14वां वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत समिति से स्वीकृत प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से तनकीनी स्वीकृति उपरान्त निम्न निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यो की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि	17-9-.2019 से 23-9-.2019 दोपहर 2.00 बजे तक
कार्यो के निविदा स्केन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति मुख्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	23-9-.2019 सायं 5.00बजे तक
कार्यो की निविदा खोलने की तिथि	24-9-.2019 प्रातः 10.00बजे

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	18% G.S.T.	कार्य की अवधि
1	**14वां वित्त आयोग की धनराशि**	3	4	5		6
1	वार्ड–16, मौहल्ला डी0एम0 रोड पर राजदरबार होटल के पास दुष्यन्त उपाध्याय अधिवक्ता के मकान के सामने इंटरलॉकिंग टाईल्स(रबड मोल्ड) व आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	295228	6000	300	54	60 दिन

1. सशर्त निविदांए मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
2. नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा।
3. नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा शुल्क खाता संख्या 01401131002304 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिविल लाईन, मोतीबाग बुलन्दशहर आई0एफ0एस0सी0 कोड–ORBC0100140 में जमा करने के पश्चात ही उपरोक्त निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा, जिसकी छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
6. निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण, श्रम विभाग के पंजीकरण प्रतियो को अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम ठेकेदार का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि दिनांक23-9-2019 सायं 5.00 बजे तक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर कार्यालय में रखे बॉक्स में डालना अनिवार्य है। यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नहीं होगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
7. जिन ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2019–2020 में हो चुका है, वही ठेकेदार निविदा डालने हेतु अर्ह होगें।
8. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट /09टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.50प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 1.00प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 दिंनाक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन करायें जाने अनिवार्य होगें। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

11. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वालें उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम–11) के आधार पर परिवहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम–11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।

12. निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लेखित कार्यो का अलग–अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्टमनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वेबसाईड पर देंखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग–अलग निविदा आमंत्रित है।

13. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां देय होगी।

14. ठेकेदार/फर्म के प्रस्तुत बिल से शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त करों की कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।

15. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें।

16. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।

17. शासनादेश संख्या 609/नौ–9–2007–249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/–रूपयें के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः–उक्त निविदांए बैवसाईट <u>http://WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN</u> and <u>WWW.NPPBULANDSHAHAR.IN</u> पर भी देखी जा सकती हैं।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

E: Nirman-Tender List/ 26.10.2018work/work tender